परिपत्र सं. आर.जी.-06/2012

परिपत्र सं० आर-जी 06/2012

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी/42/2011-एमपीलैड्स (खंड-11)

Dated 03 अक्तूबर, 2012

सेवा में,

आयुक्त,
निगम, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: **वर्तमान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन- एमपीलैड योजना के अंतर्गत माप तौल मशीन उपलब्ध कराना ।**

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय को विभिन्न संसद सदस्यों से अभ्यावेदन तथा सुझाव प्राप्त होते रहे हैं जिनमें कृषि संबंधी उत्पादों को ठीक से तौलने के लिए एमपीलैड योजना के अंतर्गत तौल मशीन प्रदान करने के लिए एवं कृषकों को आढ़तियों के हाथों धोखा होने से बचाने के लिए अनुरोध किया गया है । इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित पैरा के अनुसार, तौल मशीन संस्थापित करने के लिए एमपीलैड्स निधि से अनुमति दी जाए तथा इस पैरा को संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2012 में पैरा 3.40 के रूप में जोड़ा जाए:-

"पैरा 3.40 <u>एमपीलैड योजना के अंतर्गत स्थिर स्केल तौल मशीन प्रदान करना</u> संसद सदस्य ग्राम स्तर पर कृषि संबंधी तथा बागवानी उत्पादों के लिए स्थिर स्केल तौल मशीनों के संस्थापन के लिए सिफारिश कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

i) तौल मशीन केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय स्वायत्त निकाय की भूमि पर संस्थापित की जाएगी;
ii) यह ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में होगी तथा इसका परिचालन तथा अनुरक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा;
iii) तौल मशीन का उपयोग पंचायत के सभी ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा । कारखानों, फार्मों, दुकानों, अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं आदि जैसे सभी वाणिज्यिक संगठन तौल मशीन का उपयोग नहीं कर सकेंगे;
iv) तौल मशीन का उपयोग प्रभार मुक्त अथवा बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जाएगा । यदि आवश्यक होगा तो मामूली प्रभार ही लिया जा सकता है जिसका उपयोग मशीन के रखरखाव के लिए किया जाएगा । इस परिसंपत्ति के जरिए कोई वाणिज्यिक लेनदेन/परिचालन नहीं किया जाएगा;
v) किसी आवर्ती व्यय की अनुमति नहीं होगी ।

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

आर. राजेश

(आर. राजेश)
निदेशक
दूरभाष नं. 23344933

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से संबंद्ध नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
6. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।